



स्पीड-पोस्ट से

मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,
(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत, म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार
विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र. F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम
1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।

विन्ध्याचल भवन, भोपाल

जावक क्रमांक 158-62
भोपाल, दिनांक 27/02/2021

प्रकरण क्रमांक एमएसईएफसी / 1147 / 2020

आवेदक:-

M/s Convenient Construction
Consultancy Pvt. Ltd.
B-703, Metro Tower, Scheme No. 54,
Vijay Nagar,
Indore -452 001 (MP)

विरुद्ध अनावेदक:-

- 1- M/s Life Line Multi -Ventures Pvt. Ltd.,
N-6/440, IRC Village,
Bhubaneswar - 751015 (OR)
- 2- Mr. Jagdish Prasad naik,
Managing Director,
M/s Life Line Multi -Ventures Pvt. Ltd.,
N-6/440, IRC Village,
Bhubaneswar - 751015 (OR)
- 3- Mr. Ratnamala Swain,
Director,
M/s Life Line Multi -Ventures Pvt. Ltd.,
Flate No. - 202, Dreamz Villa,
Plot No. 12, VIP Area, Nayapalli,
Bhubaneswar - 751015 (OR)
- 4- Mr. Shyam Sundar Padhy,,
Director,
M/s Life Line Multi -Ventures Pvt. Ltd.,
Plot No. 3/310/2, Dev Village,
Dumduma, HB Colony,
Bhubaneswar - 751015 (OR)



माध्यस्थम आदेश दिनांक :- 27/11/2021

काउन्सिल के समक्ष आवेदक M/s Convinient Construction Consultancy Pvt. Ltd., Indore द्वारा एमएमएमई एक्ट 2006 की धारा 20 सहपठित धारा 30 के अधीन उपरोक्त अनावेदक क्रमांक 1-4 M/s Life Line Multi -Ventures Pvt. Ltd., Bhubaneswar (Odisha) के विरुद्ध अनावेदक को प्रदाय की गई सामग्री की बकाया मूलधन राशि रुपये 48,35,167/- एवं ब्याज राशि रुपये 19,68,629/- की वसूली हेतु दावा आवेदन पत्र दिनांक 18.09.2020 को प्रस्तुत किया गया।

काउन्सिल द्वारा अनावेदक को उत्तर प्रस्तुत करने हेतु नोटिस क्रमांक 579-583, दिनांक 19.08.2020 जारी किया गया।

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 19.10.2020 प्रस्तुत कर लेख किया कि दोनो पक्षों के मध्य दिनांक 29.09.2020 को राशि रु. 3,98,2560/- के भुगतान हेतु फुल एण्ड फायनल

समझौता हुआ है एवं टी.डी.एस. काटकर, आवेदक को राशि रु. 3,72,937/- का चेक क्रमांक 0964705, दिनांक 28.03.2021 प्राप्त हो गया है। आवेदक इस समझौते से सहमत एवं संतुष्ट होकर, प्रकरण वापिस लेता है। अतः प्रकरण समाप्त करने की कृपा करे।

आवेदक द्वारा दोनों पक्षों के मध्य निष्पादित Deed Of Settlement की प्रति प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण, सुनवाई दिनांक 06.01.2021 को काउन्सिल के समक्ष प्रस्तुत हुआ। काउन्सिल ने उभयपक्षों की सहमति के आधार पर समझौता आदेश पारित करने हेतु निर्णय लिया।

अतएव, "म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017" के नियम-9 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रकरण में उभयपक्षों के मध्य उपरोक्तानुसार समझौता होकर, प्रकरण निराकृत होने से, एतद् द्वारा प्रकरण समाप्त किया जाता है।

उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

(विवेक पोरवाल)

अध्यक्ष

म.प्र.सूक्ष्म और लघु उद्यम
फेसिलिटेशन काउन्सिल एवं
उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश, भोपाल।

(शरद मोहन अग्रवाल)

शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक निदेशक,
एमएसएमई विकास संस्थान, भोपाल।



(जी. एस. सरमा)

शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक महाप्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भोपाल।